भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 88

सोमवार, 21 जुलाई, 2025/30 आषाढ़, 1947 (शक)

प्रवासी श्रमिकों से संबंधित आंकड़े

88. **डॉ. मोहम्मद जावेद:**

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में राज्यवार, विशेषकर बिहार में प्रवासी श्रमिकों से संबंधित कोई आंकड़े हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि नहीं, तो सरकार इस पर कब तक अध्ययन कराने की योजना बना रही है;

(ग) क्या सरकार ने सभी राज्यों के प्रवासी श्रमिकों के कल्याण और सुरक्षा की देखभाल के लिए देश के प्रत्येक क्षेत्र में नोडल कार्यालय स्थापित करने पर विचार किया है और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त, 2021 को असंगठित कामगारों के राष्ट्रीय डेटाबेस ई-श्रम पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसे प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों के पंजीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भी उपलब्ध कराया गया है। यह असंगठित कामगार को स्व-घोषणा के आधार पर पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करने की सुविधा प्रदान करता है। ई-श्रम पोर्टल का मुख्य उद्देश्य असंगठित कामगारों का आधार से जुड़ा राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना और ऐसे कामगारों को मौजूदा सामाजिक सुरक्षा और कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ पहुंचाना है। दिनांक 16.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, प्रवासी कामगारों सहित 30.94 करोड़ से अधिक असंगठित कामगारों ने पंजीकरण कराया है और बिहार में कुल 2.99 करोड़ कामगारों ने ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या अनुबंध में दी गई है।

श्रम और रोजगार मंत्रालय डेटा साझाकरण पोर्टल (डीएसपी) और/या एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के श्रम विभागों के साथ ई-श्रम डेटा साझा कर रहा है।

असंगठित कामगारों की विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंच बनाने हेतु ई-श्रम को "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" के रूप में विकसित करने के संबंध में बजट घोषणा, वर्ष 2024-25 के विज़न को ध्यान में रखते हुए, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को ई-श्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" का शुभारंभ किया। ई-श्रम - "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को एक ही पोर्टल अर्थात ई-श्रम पर एकीकृत किया गया है। यह ई-श्रम पर पंजीकृत प्रवासी कामगारों सहित असंगठित कामगारों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुँच बनाने और अब तक उठाए गए लाभों को देखने में सक्षम बनाता है।

जारी..2/-

अब तक, विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की 14 योजनाएं ई-श्रम के साथ पहले ही एकीकृत/मैप की जा चुकी हैं, जिनमें प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम-स्वनिधि), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई), राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई), प्रधानमंत्री आवास योजना- शहरी (पीएमएवाई-यू) और प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई), प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-केएमवाई) शामिल हैं।

प्रवासी कामगारों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से, संसद ने अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा-शर्त) अधिनियम, 1979 अधिनियमित किया है, जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राज्यिक प्रवासी कामगारों को नियोजित करने वाले कतिपय प्रतिष्ठानों के पंजीकरण, ठेकेदारों को लाइसेंस प्रदान करने आदि का प्रावधान है। ऐसे प्रतिष्ठानों में नियोजित कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, यात्रा भत्ता, विस्थापन भत्ता, आवासीय आवास, चिकित्सा सुविधाएं और संरक्षात्मक वस्त्र आदि प्रदान किया जाना होता है।

यह अधिनियम व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं (ओएसएच) संहिता, 2020 में समाहित किया गया है। ओएसएच संहिता, गरिमापूर्ण कार्य दशाओं, न्यूनतम वेतन, शिकायत निवारण तंत्र, प्रवासी कामगारों के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन की व्यवस्था करती है।

केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र (सीआईआरएम) के अंतर्गत प्रवर्तन प्राधिकरण केन्द्रीय क्षेत्र में पंजीकृत प्रतिष्ठानों और लाइसेंसधारी ठेकेदारों का नियमित निरीक्षण करते हैं। राज्य सरकारों को अपने राज्य क्षेत्र में इस अधिनियम को लागू करने का अधिदेश दिया गया है।

****

अनुबंध

'प्रवासी श्रमिकों से संबंधित आंकड़े' के संबंध में डॉ. मोहम्मद जावेद द्वारा दिनांक 21.07.2025 को पूछे गए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 88 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

दिनांक 16.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार, ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित कामगारों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकरण 16.07.2025 तक की स्थिति के अनुसार
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	34,301
2.	आंध्र प्रदेश	85,82,350
3.	अरुणाचल प्रदेश	2,09,452
4.	असम	77,01,591
5.	**बिहार**	**2,99,89,709**
6.	चंडीगढ़	1,87,909
7.	छत्तीसगढ	85,97,389
8.	दिल्ली	35,72,672
9.	गोवा	82,028
10.	गुजरात	1,21,56,299
11.	हरियाणा	54,00,054
12.	हिमाचल प्रदेश	20,00,909
13.	जम्मू और कश्मीर	35,95,079
14.	झारखंड	96,86,345
15.	कर्नाटक	1,08,70,788
16.	केरल	60,58,844
17.	लद्दाख	34,628
18.	लक्षद्वीप	2,840
19.	मध्य प्रदेश	1,88,94,321
20.	महाराष्ट्र	1,78,32,615
21.	मणिपुर	4,61,705
22.	मेघालय	3,51,674
23.	मिजोरम	72,186
24.	नागालैंड	2,38,148
25.	ओडिशा	1,35,96,824
26.	पुदुचेरी	1,94,425
27.	पंजाब	58,50,534
28.	राजस्थान	1,48,50,534
29.	सिक्किम	48,514
30.	तमिलनाडु	92,87,763
31.	तेलंगाना	45,33,781
32.	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75,286
33.	त्रिपुरा	8,95,045
34.	उत्तर प्रदेश	8,39,39,734
35.	उत्तराखंड	30,83,131
36.	पश्चिम बंगाल	2,64,76,850
कुल		30,94,46,257